

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री मोहन लाल प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत्त), लघु सिंचाई प्रमण्डल कोडरमा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5129 दिनांक- 30.09.2015 सह पठित ज्ञापांक- 6048 दिनांक- 10.12.2015 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली-1930 के नियम-43 बी० के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :-

(i) योजना सं०- 58/2011 (बारा आहर गहरीकरण योजना) का पर्यवेक्षण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया।

(ii) बिना सही प्राक्कलन एवं एकरारनामा किये गये मद में बिना सीमांकन स्वीकृत्यादेश के मापीपुस्त में अंकित की गयी तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति आपके स्तर से बिना जाँच पड़ताल किये दी गयी।

(iii) अंचल अधिकारी, सतगाँवा कोडरमा के सीमांकन स्वीकृत्यादेश के बिना ही गहरीकरण की प्रक्रिया रैयती जमीन पर किया गया।

(iv) गहरीकरण कार्य के पूर्व रैयत को इसकी सूचना नहीं दी गई और खतियानी रैयत श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा (परिवादी) की निजी भूभाग (खाता नं०-9 प्लॉट नं०-64 रकबा 20 एकड़) की गहरीकरण के कारण क्षति हुई।

(v) मिट्टी कटाव (Sail erosion) से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। मिट्टी कटाव के कारण परिवादी का रैयती खतियानी भूभाग का बड़ा क्षेत्र सरकारी आहर में अब शामिल हो गया है।

(vi) आपके द्वारा सरकारी कार्य में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गयी जिससे सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ और योजना सं०- 58/2011 असफल हुई।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया। परन्तु समीक्षा के क्रम में रैयतों से अनापत्ति नहीं लेने, सही चिन्हितकरण नहीं होने, निरीक्षण पंजी नहीं रखने अथवा समुचित निरीक्षण नहीं कर पाने, रैयती जमीन कटकर आहर में मिल जाने के लिए आंशिक रूप से दोषी पाया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त कृत्य के लिए श्री मोहनलाल प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को विभागीय पत्रांक- 5577 दिनांक- 13.12.2016 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :-

(क) देय पेंशन से 2% की कटौती एक वर्ष के लिए।



3. श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री प्रसाद अपने बचाव बयान में द्वितीय कारण पृच्छा में उठाये गये तथ्यों का खण्डन करने में असमर्थ रहे हैं। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) देय पेंशन से 2% की कटौती एक वर्ष के लिए।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची /संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल कोडरमा/श्री मोहनलाल प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, मो०-बुद्धवारी (रामदास मंदिर के पास) ग्राम+पो०-बगहा-1, पश्चिमी चम्पारण, (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2663राँची/दिनांक 14-06-17

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


14.6.17
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव